RAJYA SABHA

Friday, the 7th November, 1986
16 *Kartika*, 1908 (*Saka*)

The House met at eleven of the Clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि आदानों के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋणों का दिया जाना

*61. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कृषि आदानों के लिए अल्पावधि ऋण दिए जाते हैं, यदि हां, तो किस दर पर; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों द्वारा इस प्रकार के अल्पावधि ऋणों के लिए कुल कितनी धनराशि की मांग की गई थी और कितनी राशि उन्हें दी गयी;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को कृषि आदान विशेषकर उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये अल्पावधि ऋण प्रदान करती है । ब्याज की दर सामान्यत: 6.1/4 प्रतिशत प्रति वर्ष होती है जिसमें समय पर पुन: अदायगी के लिए 5.1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है और देर में भुगतान करने पर 2.1/2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है ।

(ख) वर्ष 1983–84, 1984–85 और 1985–86 के दौरान प्रत्येक राज्य को स्वीकृत अल्पावधि-ऋण और प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई राशि का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । [**देखिये** परिशिष्ट CXL अनुपत्र संख्या 13]

श्री राधाकिशन मालवीय : मान्यवर, भारत सरकार राज्यों को हर वर्ष इनपुट्स के लिए खाद बीज कीटनाशक दवाइयां फसल के लिये प्रर्याप्त मात्रा में ऋण देती थी, जिसकी अदायगी राज्य सरकार द्वारा छह महीने के बीच में रियायती ब्याज पर सहित, 9 महीने में बढ़ी हुई ब्याज दर के आधार पर भारत सरकार को कर दी जाती थी । इससे किसानों को फसल ऋण देने में तथा विभिन्न संस्थाओं को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने में सुविधा होती थी । पिछले वर्ष से भारत सरकार ने इस सहायता में बड़ी मात्रा में कटौती कर दी है और अधिकतर राज्यों को यह ऋण सुविधा उनकी मांग के अनुसार नहीं दी जा रही है । तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो धनराशि सहायता के रूप में राज्य सरकारों को दी जाती थी, उसमें कटौती करने का क्या कारण है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : पहली बात तो यह है कि जो हमारे पास फण्ड है, वह हम इस तरह से बांटते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जिन-जिन राज्यों को पहले कभी ज्यादा दिया था, उनको कम भी मिला है और जिन राज्यों को कम मिला था, उनको ज्यादा भी मिला होगा क्योंकि हमने रेशनलाइज किया है और कुछ क्राइटेरिया तय किया है । पहले ऐसे चलते आया था कि कोई क्राइटेरिया नहीं था, किसी को ज्यादा देते थे, किसी को कम देते थे । मैंने देखा और कहा कि यह ठीक नहीं है इसको रेशनलाइज करना चाहिए और उसके अनुसार क्राइटेरिया तय किया है और उसी के अनुसार दिया गया है । उसमें किसी को कम भी मिला होगा, किसी को ज्यादा भी मिला होगा ।

श्री राधाकिशन मालवीय : सेकेण्ड सप्लीमेंटरी, मैं सिर्फ मध्यप्रदेश को इस सम्बन्ध में दी जाने वाली कृषि-इनपुट्स को

जो सुविधा है, उसी के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। भारत सरकार ने जो तीन साल के आंकड़े दिए हैं—सन् 1983–84, 1984–85 और 1985–86 के जो आंकड़े दिए हैं, उसमें एक जगह तो गलत फिगर है। सन् 1984–85 में मध्य प्रदेश की सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मांग की थी और उन्होंने यह बताया है कि 16 करोड़ रुपए मांगे हैं और दिए हैं 24.50 करोड़ रुपए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You did not read the asterisk part. It is for one season only. There is an asterisk at the bottom. It says: 'for one season only'. There is no point in what you are saying. You put an-~_Other supplementary.

श्री राधाकिशन मालवीय : सर, सन् 1986 में इस वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार ने 20.50 करोड़ रुपए की मांग की और भारत सरकार ने उनको सिर्फ 6 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे राज्य के किसानों को समुचित सहायता देने में राज्य सरकार को बहुत कठिनाई आयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो धनराशि भारत सरकार देती है, उसको प्रांतीय सरकार छह महीने में ब्याज सहित अदा कर देती है तो सरकार क्या इस प्रकार की ऋण सहायता जो गरीब प्रांत होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगी ?

श्री योगन्द्र मकवाणा : साहब, ऐसा है कि किसानों को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। वह तो कोआपरेटिव सोसायटी को, जो हेण्डलिंग करती है फर्टिलाइजर को और पब्लिक अण्डरटेकिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसको दिया जाता है ताकि वे लोग छह महीने में उसको वापस कर दें और कोई मुश्किल उसमें न हो फर्टिलाइजर स्टोर करने आदि आदि में तो मध्य प्रदेश में ऐसा है कि मध्यप्रदेश में ड्राइलैंड फार्मिंग ज्यादा है। तो पहले साल का कंजप्मपशन देखते हैं। इरीगेटेड कितना है, नान-इरीगेटिड कितना है, क्रापिंग पैटर्न क्या है—यह सब देखने के बाद तय किया जाता है। क्राइटेरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश को जितना मिलना चाहिए उतना ही दिया गया है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के जवाब में एक विवरण पेश किया है कि मुख्तलिफ राज्यों की डिमांड क्या है और केन्द्र सरकार ने क्या दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर और दूसरे इनपुट्स की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों को वक्त पर मदद पहुंचाना स्टेट और केन्द्र का फर्ज है। इस लिस्ट के मुताबिक जो मुख्तलिफ राज्यों ने मांग की है और उसके मुकाबले में जो मदद पहुंचाई गई है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई सहायता नहीं दी गई है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि मदद पहुंचाने के लिए कोई क्राइटेरिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्राइटेरिया क्या है ? आंध्र प्रदेश ने 1983–84 में 16 करोड़ रुपया मांगा है और सेंक्शन हुआ है 11.94 करोड़। 1984–85 में 30 करोड़ मांगा है और दिया कम ... (**व्यवधान**) यह काफी नहीं है, वह क्राइटरिया क्या है जिसके तहत यह तय किया है ? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes yes, you have asked the question. Please sit down now. You have already taken more than two minutes. Please sit down.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, Just now I ' have mentioned about the criteria in reply to the previous questions by the hon. Member, Shri Malaviya. The criteria is like this: first, the consumption during the previous season, second, the irrigated and non-irrigated areas under various crops, then there is the average dose applied by the farmers, then the cropping pattern, than the area covered under high-yielding variety of seeds and annual growth rate of fertiliser consumption. These are criteria. Based on these

criteria, we have fixed the limits for the State Governments.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी शार्ट टर्म लोन छोटे किसानों को फर्टिलाइजर के रूप में दे रहे हैं । क्या उनको यह जानकारी है कि इस मामले में गरीब आदमियों की ठीक से मदद न पहुंचने की शिकायत है । क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले वर्ष में 55 फीसदी, अगले वर्ष में 42 फीसदी और तीसरे वर्ष में 30 फीसदी—बढ़ना चाहिए था, घटने का क्या कारण है ? क्या उत्तर प्रदेश प्रयोग नहीं कर रहा है या वहां की गरीबी हट गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य बहुत गलत समझे हैं । यह शार्ट टर्म लोन है और किसानों को नहीं दिया जाता है । सरकार जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज हैं उनको देता है । कोआपरेटिव एजेंसीज, जैसे मार्कफेड वगैरह किसान को तो उसमें से नहीं मिलता । किसान को फर्टिलाइजर परचेज करना पड़ता है । दूसरी बात का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने अभी-अभी बताया है कि वह क्राइटेरिया बेस्ड होता है और क्राइटेरिया के आधार पर हमने आपकी स्टेट को भी दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अन्ततः तो किसान के पास पहुंचता है, चाहे कोआपरेटिव एजेंसी के जरिये ही क्यों न हो... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Patel.

SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Sir, I would like to know from the hon. Minister that when Gujarat had asked for Rs. 33. 47 lakhs why it was sanctioned only less Rs. 16 lakhs, which is less than 15 • per cent. And what is the allocation ; for Gujarat for 1986-87 ?

MR. CHAIRMAN: He has said that it is based on criteria.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, in this question I have to repeat the reply again and that is based on criteria. The figure is given for Gujarat also. For Gujarat, for 1986-87 kharif season, Gujarat asked for Rs. 25 crores and we have sanetioned Rs. 16. 26 crores.

National Commission on Urbanisation

*62. SHRI AJIT P. K. JOGI; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state

(a) whether the National Commission on Urbanisation headed by Shri Charles Correa has submitted any report so far;

(b) if so, what are the salient features and main recommendations of the report; and

(c) what action has been taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) No, Sir. The Commission is expected to furnish an interim report by the end of this year.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI AJIT P. K. JOGI: The reply given by the hon. Minister indicates quite a disappointing trend. This Commission was constituted way back in October last year and more than a year has elapsed and the Commission has not bothered even to submit an interim report. It is said that they will submit their interim report by the end of this year. But from what we have heard and what we have learnt about the functioning of this Commission we feel that even this time limit may not be adhered to. Therefore, my question is will the hon. Minister please review the functioning if this Commission, find out why they are taking so long and find out if there are people in this Commission who cannot devote enough time to this part of the work because they are eminent people in